रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D).-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 500] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 1979/अग्रहायण 7, 1901
No. 500] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 1979/AGRAHAYANA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1979

का०आ० 762 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

आदेश

श्रीमती सुमति चेल्लप्पन और श्री के० के० कृष्णन ने राष्ट्रपति को, केरल राज्य की विधान सभा के पदासीन सदस्य श्री दामोदरन कालासेरी के विरुद्ध क्रमशः 24 जून, 1978 और 28 जून, 1978 को दो अर्जियां दी थीं, जिनमें यह अभिकथन किया गया था कि श्री दामोदरन कालासेरी संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अनुसार उक्त विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हित हो गए हैं;

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन 14 जुलाई, 1978 को निर्वाचन आयोग को निर्देश करते हुए इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी थी कि क्या उक्त व्यक्ति इस प्रकार निरर्हित हो गए हैं,

निर्वाचन आयोग की राय है (देखिए उपाबन्ध) कि संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192(1) के उपबन्धों में किए गए संशोधन के कारण राष्ट्रपति को अब उक्त प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है और उक्त निर्देश असफल हो गया है और इसलिए उक्त निर्देश राष्ट्रपति को वापस कर दिया गया।

अतः अब मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत के राष्ट्रपति उक्त अर्जी पूर्वोक्त अर्जीदार को वापिस करता हूं।

राष्ट्रपति भवन — नीलम संजीव रेड्डी
नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1979 — भारत का राष्ट्रपति

उपाबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष

संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश —भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन श्री दामोदरन कालासेरी की निरर्हता के मामले में।

राय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश का यह मामला केरल की विधान सभा के पदासीन सदस्य श्री दामोदरन कालासेरी की, जिसे तारीख 12 मई, 1978 के सरकारी आदेश द्वारा केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अभिकथित निरर्हता के सम्बन्ध में है।

राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न श्रीमती सुमति चेल्लप्पन और श्री के० के० कृष्णन द्वारा फाइल की गई तारीख 24 जून, 1978 और तारीख

28 जून, 1978 की दो अर्जियों में उठाया गया है । दोनों मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश एक साथ आयोग को भेजे गए थे ।

निरर्हता का प्रश्न मुख्य रूप से इस आधार पर उठाया गया है कि श्री दामोदरन कालासेरी, विधान सभा सदस्य तारीख 12 मई, 1978 के सरकारी आदेश द्वारा उस निगम के, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, अध्यक्ष का पद धारण करने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अर्थ में केरल सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते रहे हैं ।

आयोग ने अभिकथित निरर्हता के प्रश्न की जांच करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के अधीन कार्रवाई की और इस प्रयोजन के लिए पक्षकारों को सूचनाएं जारी करके 25 जुलाई, 1978 को कार्यवाही प्रारम्भ की ।

कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान केरल के राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसका तात्पर्य इसी किस्म और प्रकृति की निरर्हता को भूतलक्षी प्रभाव से दूर करने का था जिसका कि राष्ट्रपति से प्राप्त हुए निर्देश में उल्लेख किया गया है । यह अध्यादेश केरल विधान सभा के एक अधिनियम अर्थात् लेजिस्लेटिव एसेम्बली (रिमूवल आफ डिस्क्वालिफिकेशन्स) अमेण्डमेंट ऐक्ट, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है ।

अर्जीदारों के काउन्सेल ने यह दलील दी कि उस अध्यादेश और अधिनियम के, जिसमें प्रश्नगत निरर्हता को दूर करने का उपबन्ध किया गया है, बावजूद वह अब भी इस पर जोर देंगे कि निरर्हता के सम्बन्ध में मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

10 सितम्बर, 1979 के लिए नियम सुनवाई में आयोग ने यह बताया कि संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा संशोधित अनुच्छेद 192 के उपबन्धों के अधीन किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबन्धित कोई प्रश्न राज्यपाल के समक्ष उठाया जाना चाहिए और यह कि राष्ट्रपति को अब ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि राष्ट्रपति को इस प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह असफल हो गया है । हाल ही में आयोग द्वारा निपटाए गए इसी प्रकार के मामले में आयोग का यही विचार था । अर्जीदार के अधिवक्ता ने उपरोक्त विधिक स्थिति को स्वीकार कर लिया और इस बात से सहमत थे कि संविधान के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार अब यह प्रश्न केरल के राज्यपाल के समक्ष उठाया जाना चाहिए ।

तदनुसार मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें वापस लौटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह असफल हो गया है । परिणामस्वरूप निर्देश उपरोक्त राय के साथ लौटाया जाता है ।

नई दिल्ली, तारीख 20 सितम्बर 1979 ह०/

(एस० एल० शकधर)

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० एफ० 7(47)/79—वि०—II]

आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1979

S.O. 762(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas two petitions dated the 24th June, 1978 and the 28th June, 1978 were submitted by Smt. Sumathy Chellappan and Shri K. K. Krishnan, respectively, to the President against Shri Damodaran Kalasseri, a sitting member of the Legislative Assembly of the State of Kerala, alleging that he had become subject to disqualification for membership of that Assembly in terms of article 191(1)(a) of the Constitution ;

And, whereas, the President had made a reference to the Election Commission under article 192(2) of the Constitution, on the 14th July, 1978 for the opinion of the Commission, on the question whether the aforesaid person had become subject to such disqualification ;

And, whereas, the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that by reason of the amendment of the provisions of article 192(1) of the Constitution by section 25 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, the President has no longer any jurisdiction to give a decision on the said question and that the said reference has become infructuous and has, therefore, returned the said reference to the President ;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, do hereby return the said petition to the petitioner aforementioned.

Rashtrapati Bhavan,

New Delhi, the 17th November, 1979.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE CHIEF ELECTION COMMISSIONER OF INDIA

In re : Reference from the President under Article 192 (2) of the Constitution—Disqualification of Shri Damodaran Kalasseri, MLA under Article 191(1) (a) of the Constitution of India.

OPINION

This reference case from the President of India under Article 192(2) of the Constitution of India relates to the alleged disqualification of Shri Damodaran Kalasseri, a sitting member of the Legislative Assembly of Kerala, who was appointed as the Chairman of the Board of Directors of the Kerala State Development Corporation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by a Government Order dated the 12th May, 1978.

The question before the President has been raised in two petitions dated the 24th June and 28th June, 1978, filed by Smt. Sumathy Chellappan and Shri K. K. Krishnan. The references from the President in both cases was referred to the Commission together.

The main ground on which the question of disqualification has been raised is that Shri Damodaran Kalasseri, MLA has been holding office of profit under the Government of Kerala within the meaning of Article 191(1) (a) of the Constitution by virtue of his holding office as the Chairman of the Corporation referred to above by a Government Order dated the 12th May, 1978.

The Commission proceeded under section 146 of the Representation of the People Act, 1951 to enquire into the question of alleged disqualification and for this purpose commenced the proceedings on the 25th July, 1978 with the issue of notices to the parties.

While the proceedings were pending, the Governor of Kerala issued an Ordinance which purported to remove with retrospective effect a disqualification of the type and nature of the one dealt with in the Reference from the President. This Ordinance was replaced by an Act of Kerala Legislature

i.e., the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1979.

The Counsel for the petitioners contended that inspite of the Ordinance and the Act seeking to remove the disqualification under issue, he would still urge that the original position regarding the disqualification had not been altered.

At the hearing fixed on the 10th September, 1979, the Commission pointed out that under the provisions of Article 192, as amended by section 25 of the Constitution (Forty-Fourth Amendment) Act, 1978, any question relating to the disqualification of a member of a House of the Legislature of a State is required to be raised before the Governor and that the President has no longer jurisdiction to decide such a question. In view of the lack of jurisdiction of the President to decide the question, the reference made by the President should be returned to him as it had become infructuous. In a similar case dealt with by the Commission, recently, the same view has been taken. The Advocate for the petitioner, accepted the above legal position and agreed that the question should now be raised before the Governor of Kerala in terms of the provisions of the Constitution as they stand today.

Accordingly, I hold that the reference made by the President should be returned to him as it has become infructuous. Consequently, the reference is hereby returned with the above opinion.

Sd./-

(S. L. SHAKDHER)

Chief Election Commissioner of India

[No. F. 7(47)/79-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

New Delhi,

Dated the 20th September, 1979.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979